

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....अलीदा.....

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अलीदा व भूअनि डुबिका की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दोतरामगढ़ / नायब तहसीलदार 88 रफि की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सावलपुरा प.ह. अलीदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बन्ध 2076-77 में खाता संख्या 14, 115 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम प.ह.	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>सावलपुरा</u> प.ह. <u>सावलपुरा</u>	<u>खाता संख्या 14,</u> <u>115</u>	<u>मीनाराम पुण</u> <del>मुनाराम</del> <u>मंगुराम</u>	<u>मीनाराम पुण</u> <u>मुनाराम पुण</u> <u>मंगुराम पुण</u> मानके के आदेश डिये जाते हैं किसी भी आशंका का समझ आदेश के अन्तर्गत है कि पत्र करी

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा  
(उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 25.11.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 617  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालिका रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर